भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3831

11.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस को ऋण व्यवस्था

3831. श्री एम. सेल्वराज:

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंन्द्र सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार रूस के सुदूर पूर्वी कार्यक्रमों के लिए 1 बिलियन डॉलर ऋण व्यवस्था की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत ने किस प्रयोजन के लिए ऐसी ऋण व्यवस्था को स्वीकृत किया है और इसका क्या उद्देश्य है तथा इस ऋण के लिए क्या प्रक्रिया और शर्तें हैं; और

(घ) रूस को स्वीकृत किए गए इस ऋण से भारत को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर बैठक में शामिल होने के लिए 4-5 सितंबर, 2019 को व्लादीवोस्तोक की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं हेतु एक बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की थी। इस ऋण सहायता से बुनियादी सुविधा तथा अन्य विकास परियोजनाएं चलाया जाना सुकर हो जाएगा। इससे संबंधित निबंधन व शर्तें रूस सरकार के साथ चर्चा करके तय की जाएंगी। इस ऋण सहायता से इस प्रांत में कोयला खनन तथा विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हीरा तथा सोना, दुर्लभ खनिज, कृषि जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश तथा भारत से रूस के सुदूर पूर्व में और अधिक कुशल लोग भेजे जा सकेंगे।

***